बिल का सारांश

निरसन और संशोधन बिल, 2025

- निरसन और संशोधन बिल, 2025 को 15 दिसंबर, 2025 को लोकसभा में पेश किया गया।
- **कानूनों का निरसन**: इस बिल के तहत 71 कानून निरस्त किए गए हैं। बिल के उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है कि ये कानून या तो अप्रचलित हो चुके हैं या इन्हें अलग कानूनों के रूप में बरकरार रखना आवश्यक नहीं है। इनमें से 65 संशोधन एक्ट हैं, जिनके परिवर्तन पहले ही मूल कानूनों में शामिल किए जा चुके हैं। निरस्त किए जा रहे अन्य कानूनों में भारतीय ट्रामवे एक्ट, 1886, लेवी चीनी समान कीमत निधि एक्ट, 1976 और भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (कर्मचारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण) एक्ट, 1988 शामिल हैं।
- **कुछ कानूनों में संशोधन**: इस बिल में चार कानूनों में संशोधन भी किया गया है। पंजीकृत डाक के लिए शब्दावली को अपडेट करने हेतु यह बिल सामान्य खंड एक्ट, 1897 और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में संशोधन करता है। भारतीय उत्तराधिकार एक्ट, 1925 में कुछ मामलों में न्यायालयों द्वारा वसीयत के सत्यापन की आवश्यकता को समाप्त करने हेतु संशोधन किया जा रहा है। बिल में आपदा प्रबंधन एक्ट, 2005 में ड्राफ्टिंग संबंधी एक गलती को सुधारने हेतु भी संशोधन किया गया है।

डिस्क्लेमर: प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

वेदिका भनोट
vedika@prsindia.org

16 दिसंबर, 2025